# राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

चौथा तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302006

फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स न0 : 0141–2740676,

वेबसाईट: **www.excise.rajasthan.gov.in** ई–मेल : **dgmpurchase.rsgsm@rajasthan.gov.in**

## ई–बिड आमंत्रण सूचना

## भा. नि. वि./ 5 यू. पी. के. के./ हेरिटेज मदिरा/राज महुआ/ सैनिटाईजर एवं अन्य का झोटवाड़ा मदिरालय से विभिन्न डिपो पर, राज महुआ का उदयपुर मदिरालय से विभिन्न डिपो पर एवं एसेप्टिक ब्रिक पैक में पैक मदिरा एवं अन्य का अजमेर मदिरालय से विभिन्न डिपो पर

## परिवहन कार्य हेतु दर संविदा

द्वि–भाग बिड

भाग– प्रथम

तकनीकी बिड

बिड कमांक–आरएसजीएसएम/मुख्या./मदिरा परिवहन/खुली बिड/2022–23/67 दिनांक 09.03.2023

| | | |
|---|---|---|
| प्री–बिड बैठक | : | दिनांक 13.03.2023 को दोपहर 03.00 बजे |
| बिड सबमिशन प्रारम्भ दिनांक | : | दिनांक 16.03.2023 को दोपहर 03.00 बजे से |
| बिड प्रपत्र डाउनलोड करने का दिनांक व समय | : | दिनांक 29.03.2023 को सायं 6.00 बजे तक |
| बिड प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय | : | दिनांक 29.03.2023 को सायं 6.00 बजे तक |
| तकनिकी बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान | : | दिनांक 31.03.2023 को दोपहर 3.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर |
| वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय | : | वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से दी जावेगी |
| बिड प्रपत्र मूल्य | : | रूपये 2360 मय जी.एस.टी. |
| बिड प्रोसेसिंग मूल्य | : | रूपये 2000 मात्र |

# राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.

## चौथा तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर–302006

## फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स न0 : 0141–2740676

## ई–बिड आमंत्रण सूचना

बिड क्रमांक–आरएसजीएसएम/मुख्यालय/मदिरा परिवहन/खुली बिड/2022–23/67

1. भा. नि. वि./ 5 यू. पी. के. के./ हेरिटेज मदिरा/राज महुआ/ सैनिटाईजर एवं अन्य का झोटवाड़ा मदिरालय से विभिन्न डिपो पर एवं एसेप्टिक ब्रिक पैक में पैक मदिरा एवं अन्य का अजमेर मदिरालय से विभिन्न डिपो पर परिवहन कार्य हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति/फर्म/कंपनी से ई–बिड आमंत्रित की जाती हैं। कार्य का विवरण इस प्रकार है–

| कार्य | अनुमानित व्यय वार्षिक | बिड प्रपत्र शुल्क /प्रोसेगिस फीस | बोली प्रतिभूति राशि | बोली की वैधता अवधि | बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय | बिड खोलने की तिथि एवं समय व स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भा. नि. वि./ 5 यू. पी. के. के./ हेरिटेज मदिरा/ राज महुआ / सैनिटाईजर एवं अन्य के झोटवाड़ा मदिरालय से विभिन्न डिपो पर परिवहन कार्य | रू. 101.00 लाख | रू. 2360 मय GST / रू. 2000 | बोली प्रतिभूति राशि @ 2% | 90 दिवस | दिनांक 29.03.2023 सायंकाल 6.00 बजे तक | दिनांक 31.03.2023 को सांय 3.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर |
| एसेप्टिक ब्रिक पैक में पैक मदिरा एवं अन्य का अजमेर मदिरालय से विभिन्न डिपो पर परिवहन कार्य | रू. 150.00 लाख | | | | | |
| राज महुआ मदिरा का मदिरालय उदयपुर से विभिन्न डिपो पर परिवहन कार्य | रू. 20.00 लाख | | | | | |

2. मदिरालय झोटवाडा/अजमेर/उदयपुर से संबंधित सभी 85 डिपोज एवं एक से अधिक डिपोज के लिये निर्धारित दूरी स्लेब में प्रति रंनिग किलोमीटर एकतरफा दरें में देनी अनिवार्य है।
3. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिक द्वारा बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। संस्थान में वर्तमान में सेवारत कार्मिक के परिवार के सदस्यों द्वारा भी बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परिवार की श्रेणी में दादा, दादी, माता, पिता, पत्नी, पुत्र ,पुत्री (दत्तक पुत्र ,पुत्री सहित), पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री, बहन, भाई शामिल होंगे। यदि संस्थान में कार्यरत कार्मिक के किसी रिश्तेदार (उपरोक्तानुसार वर्णित परिवार के सदस्यों के अलावा) द्वारा बिड में भाग लिया जाता है तो उसे लिखित में कार्मिक के साथ रिश्ते का घोषणा पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा।
4. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को एकल पंच नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।
5. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय होंगे।
6. बिड प्रपत्र वेबसाइट www.excise.rajasthan.gov.in or www.sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

# राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.

7. बिड शुल्क रू. 2360 मय जीएसटी (RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में), बिड प्रोसेसिंग शुल्क रू. 2000 (MD, RISL, payable at Jaipur के पक्ष में), बोली प्रतिभूति राशि (RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में) के डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक एवं एनेक्सर 'बी' (रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) ऑफलाईन बन्द लिफाफे में बिड प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि एवं समय तक अनिवार्य रूप से क्रय अनुभाग, आरएसजीएसमएम, सहकार भवन में जमा कराना होगा, जिसके अभाव में तकनीकी बिड खोला जाना संभव नहीं हो सकेगा। अन्य कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार नहीं किये जावेगें।
8. बिडर यह भी सुनिश्चित करें कि बिड संबंधी एवं चैक–लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं बिड प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षरित एवं मोहरबंद कर ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करें। ऐसा करने में असफल पाये जाने पर बिडर को तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
9. **<u>ई–बिड प्रस्तुतीकरण के लिये बिडर्स हेतु निर्देशः–</u>**

अ. बिड में भाग लेने वाले बिडर को इन्टरनेट वेब साइट eproc.rajasthan.gov.inपर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC, Type-III),इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट– 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक बिड में साइन करने हेतु काम आयेगा। बिडर उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सी. सी. ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिड दाताओं के पास E-Procurement Portal के लिए पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।

ब. बिडर को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

स. इलेक्ट्रोनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडर यह सुनिश्चित कर लेवे कि बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी हैं।

द. कोई भी बिड इलेक्ट्रोनिकी फार्मेट में जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आरएसजीएसएम की नहीं होगी।

य. बिड प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

र. ऑन लाईन बिड भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप बिड प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए आरएसजीएसएम की जिम्मेदारी नहीं होगी।

ल. बिडर, यदि आवश्यक हो तो, ऑनलाईन बिड सबमिशन के प्रशिक्षण हेतु सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, प्रथम तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के ई–प्रोक्यरमेन्ट सेल हेल्पडेस्क न. 0141–4022688, ई–मेलः eproc@rajasthan.gov.in वेबसाईटः www.eproc.rajasthan.gov.in, से सम्पर्क कर सकते है।

व. बिड में सभी संशोधन बिड जारी करने के उपरान्त eproc.rajasthan.gov.in, या sppp.rajasthan.gov.in_वेबसाइट पर ही जारी किये जावेंगे। बिडर द्वारा वेब (ई–मेल) पर संशोधनों/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जावेगा।



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

# राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.

| परिचय | |
|---|---|
| बिड क्रमांक | आरएसजीएसएम / मुख्यालय / मदिरा परिवहन / खुली बिड / 2022–23 / 67 |
| उपापन संस्थान | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड |
| उपापनीय सेवा का विवरण | भा. नि. वि. / 5 यू. पी. के. के. / राज महुआ / हेरिटेज मदिरा / सैनिटाईजर एवं अन्य का झोटवाड़ा मदिरालय से विभिन्न डिपो पर, राज महुआ मदिरा का मदिरालय उदयपुर से विभिन्न डिपोज पर एवं एसेप्टिक ब्रिक पैक में पैक मदिरा एवं अन्य का अजमेर मदिरालय से विभिन्न डिपो पर परिवहन कार्य |
| बिड प्रपत्र का मूल्य | रू. 2360 मय GST का RSGSM Ltd. (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी चैक / डीडी व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व / तक पहुंचाना अनिवार्य है। |
| बिड प्रोसेसिंग का मूल्य | रू. 2000 का MD, RISL (Payable at Jaipur) के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक / डीडी व्यक्तिशः या डाक द्वारा कंपनी मुख्यालय की क्रय शाखा में निर्धारित तिथि व समय पूर्व / तक पहुंचाना अनिवार्य है। |
| बिड जिसको प्रस्तुत करनी है, अथवा कोई स्पष्टिकरण वाछिंत है | उप महाप्रबंधक (क्रय) ,<br>राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड,<br>चतुर्थ तल, नेहरू सहकार भवन, जयपुर।<br>फोन न0 : 0141–2740841, फैक्स : 0141–2740676<br>ई–मेल : dgmpurchase.rsgsm@rajasthan.gov.in |
| प्री बिड बैठक | दिनांक 13.03.2023 को दोपहर 03.00 बजे |
| बिड की भाषा | हिन्दी व अंग्रेजी |
| बिडर को बिड के साथ संलग्न करना है– | बिड की शर्तों एवं चैक लिस्ट में उल्लेखानुसार |
| दरों की वैधता अवधि | तकनीकी बिड प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिवस |
| बोली प्रतिभूति राशि | बिड प्रपत्र में वर्णितानुसार |
| अधिकृत करना | बिडदता के लैटर हैड पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी या अधिकृति पत्र |
| बिड प्रपत्र को डाउनलोड करना | excise.rajasthan.gov.in or sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है एवं वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। |
| बिड डाउनलोड व अपलोड करने का अन्तिम दिनांक व समय | दिनांक 29.03.2023 को सायंकाल 6.00 बजे तक वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in |
| तकनिकी बिड खोलने की दिनांक व समय | दिनांक 31.03.2023 सांय 3.00 बजे eproc.rajasthan.gov.in द्वारा मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर। |
| वित्तीय बिड डाउनलोड करने की दिनांक व समय | ई–प्रोक द्वारा स्वतः मैसेज प्रणाली के माध्यम से दी जावेगी |
| अवधि जिसमें कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराकर अनुबंध का निष्पादन किया जाना है | कार्यादेश जारी करने के 15 दिवस में करना होगा, अन्यथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। |
| प्रथम अपील प्राधिकारी का पदनाम व पता | संयुक्त सचिव, वित्त (आबकारी) |
| द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम व पता | 1. सचिव, वित्त (बजट) सदस्य<br>2. आयुक्त, कृषि सदस्य |



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

# राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.

मैं/हम ..................................................................................(व्यक्ति/फर्म/कंपनी आदि) बहैसियत .......................... ..........................................................(पदनाम/प्रास्थिति) द्वारा समस्त बिड दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं इसके समस्त प्रावधानों व शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा स्वीकारोक्ति स्वरूप सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर कर दिये गये हैं। मेरी/हमारी जानकारी निम्नानुसार है–

| | |
|---|---|
| व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम | ———————————————— |
| | ———————————————— |
| | ———————————————— |
| कार्यालय पता | ———————————————— |
| | ———————————————— |
| | ———————————————— |
| फैक्ट्री का पता | ———————————————— |
| | ———————————————— |
| | ———————————————— |
| दूरभाष संख्या | कार्यालय ...................................................... |
| | निवास ...................................................... |
| | फैक्ट्री ...................................................... |
| | फैक्स ...................................................... |
| | ई–मेल ...................................................... |
| | मोबाईल ...................................................... |

वैधानिक विवरणः–

| | |
|---|---|
| माल एवं सेवाकर पंजीयन संख्या (GSTIN) | ———————————————— |
| पैन नंबर | ———————————————— |



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

# राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.

सेवा कर जमा की विवरणी का संदर्भ ---------------------------------

बोली प्रतिभूति राशि का विवरण

डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या एवं दिनांक ---------------------------------

डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक राशि ---------------------------------

बिडर का बैंक का नाम ---------------------------------

बैंक खाता संख्या ---------------------------------

बैंक आरटीजीएस न0 ---------------------------------

हस्ताक्षर ---------------------------------

नाम व पदनाम हस्ताक्षरकर्त्ता ---------------------------------

***नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें।***



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

# राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.

## बिड के संबंध में विशेष शर्तें / नियम

***टिप्पणी—लोक उपापन के संबंध में ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012'' एवं ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013'' प्रभावशील हैं एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http:/sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अतः समस्त बिडर को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व इन नियमों से भलीभांति परिचित हो लेवे। यदि लोक उपापन अधिनियम , नियम तथा इस बोली दस्तावेज के किन्हीं प्रावधानों के बीच असाम्यता हो तो अधिनियम , नियम में उल्लेखित प्रावधान तथा आशय ही मान्य/प्रभावी रहेगा।***

1. भा. नि. वि./ 5 यू. पी. के. के./ हेरिटेज मदिरा/राज महुआ/सैनिटाईजर एवं अन्य का झोटवाड़ा मदिरालय से विभिन्न डिपो पर, राज महुआ मदिरा का मदिरालय उदयपुर से विभिन्न डिपोज पर एवं एसेप्टिक ब्रिक पैक में पैक मदिरा एवं अन्य का अजमेर मदिरालय से विभिन्न डिपो पर परिवहन कार्य हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता व्यक्ति/फर्म/कंपनी से ई–बिड आमंत्रित की जाती है।
2. कुल बिड मात्रा अनुसार झोटवाड़ा मदिरालय हेतु रूपये 101.00 लाख, मदिरालय उदयपुर से रू. 20 लाख एवं अजमेर मदिरालय हेतु रूपये 150.00 लाख धनराशि के अनुमानित व्यय का आंकलन किया गया है। उक्त आधार पर ऑफर मात्रा मूल्य की 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि के आधार पर बोली प्रतिभूति राशि जमा कराना आवश्यक है।
3. सफल बिडर को कार्य करने से पूर्व अनुबंध निष्पादन के तहत अनुमानित राशि की 2.5 प्रतिशत/अनुबंध दिनांक को प्रभावी आरटीपीपी नियमानुसार राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में बिड के साथ जमा करायी गयी बिड सिक्योरिटी की राशि को समायोजित किया जा सकेगा तथा शेष राशि और जमा करानी होगी। उक्त समस्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा सफलतापूर्वक कार्य सम्पादित हो जाने के पश्चात लौटायी जायेगी।
4. प्रभारी मदिरालय झोटवाडा/अजमेर/उदयपुर द्वारा जितनी संख्या में प्रतिदिन, मदिरा की सप्लाई के लिए ट्रक मांगे जावे, की व्यवस्था निरन्तर की जानी होगी। अत्यावश्यक होने पर मांग के तीन घंटे के अंदर भी वाहनों की व्यवस्था करनी होगी। प्रतिदिन प्रातः मदिरालय खुलने पर अनुबंधदाता स्वयं/ प्रतिनिधि को मदिरालय में जाकर ट्रकों की मांग नोट कर डिमान्ड रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे।
5. यदि सफल बिडर द्वारा समय पर ट्रक उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे तो कम्पनी खुले बाजार से सफल बिडर की रिस्क एण्ड कोस्ट पर ट्रक किराये पर लेगी व किराये में जो भी अन्तर होगा एवं अन्य हानि की राशि की वसूली सफल बिडर से उसको देय राशि अथवा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से की जायेगी।
6. सफल बिडर को ट्रक के वास्तविक रात्री हॉल्टेज के लिये रू. 800/— प्रति रात्री की दर से भुगतान पृथक से देय होगा।
7. मदिरा परिवहन सेवाओं के क्रम में निर्धारित दूरी स्लेब में प्रति रंनिग किलोमीटर दरें मदिरालय झोटवाडा/अजमेर से सभी 85 डिपोज तक एवं मदिरालय उदयपुर से संबंधित डिपोज की डिपोवार अनुमानित दूरी किलोमीटर में दर्शाते हुए वाहन क्षमता के अनुरूप चाही गई है।
8. दरें वाहन क्षमता 3 टन (200 (ग्लास)/300 (पेट)/350 (एसेप्टिक ब्रिक पैक) केसेज) एवं 9 टन (625 (ग्लास)/925 (पेट)/1000 (एसेप्टिक ब्रिक पैक) केसेज) के लिये दर निर्धारित स्लेब में प्रति किलोमीटर के रूप में चाही गई है।
9. मदिरा परिवहन सेवाओं के क्रम में दरें एक ही वाहन एक बार में एक से अधिक डिपो पर मदिरा परिवहन किये जाने की दशा में निर्धारित स्लेब में प्रति रनिंग किलोमीटर के अनुसार पृथक से चाही गई हैं।
10. एक ही वाहन एक बार में एक से अधिक डिपो पर मदिरा परिवहन किये जाने की दशा में प्रति रनिंग किलोमीटर के आधार पर पृथक से चाही गई दरें भी वाहन (3 टन (200 (ग्लास)/300 (पेट)/350 (एसेप्टिक ब्रिक पैक) केसेज) एवं 9 टन (625 (ग्लास)/925 (पेट)/1000 (एसेप्टिक ब्रिक पैक) केसेज) के लिये आमत्रिंत की गई है।
11. मदिरा को ले जाने हेतु प्रयुक्त वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत वैध एवं अधिकृत रूप से संचालित होने चाहिये।



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

12. सफल बिडर के द्वारा प्रस्तुत परिवहन बिलों से नियमानुसार केन्द्रीय व राजकीय करों की वैधानिक (जैसे आयकर, जी.एस.टी आदि यदि लागू हो तो ) कटौती बिलों से करके ही भुगतान किया जावेगा तथा कोई राशि वसूली योग्य रह जाती है तो उसे जमा कराने का दायित्व सफल बिडर का होगा।
13. मदिरा परिवहन के क्रम में चुंगी/टोल टैक्स/ अन्य कर के रूप में कोई भुगतान देय नहीं होगा। बिडर को दरें सभी प्रकार के कर को सम्मिलित करते हुए देनी होगी।
14. रास्ते में गाडी खराब होने पर दूसरी गाडी व श्रमिको की व्यवस्था कर मदिरा को गन्तव्य स्थान पर सुरक्षित भिजवाने की व्यवस्था सफल बिडर को करनी होगी।
15. परिवहन किराये का भुगतान गोदाम प्रभारी के प्रमाणीकरण के आधार पर प्रभारी मदिरालय द्वारा मासिक आधार पर चैक द्वारा किया जावेगा।
16. मदिरा से भरी गाडियों को मदिरालय से रवाना होने पर अपने गन्तव्य स्थान पर सीधा पहुँचाना होगा। अगर किसी वजह से गाडी में खराबी, पंक्चर, खाना खाने इत्यादि से गाडी को कितने समय तक रोकना पडा, का रिकार्ड रखना होगा। प्रभारी मदिरालय आवश्यकता पड़ने पर यह रिकार्ड तलब कर सकते है।
17. यद्यपि मदिरालय से डिपोज की दूरी जीपीएस आधारित हैं तथापि मदिरा परिवहन वाहनों का मार्ग (रूट) कम्पनी द्वारा बताये अनुसार/आबकारी पास में लिखे अनुसार ही होगा।
18. बिड में वही बिडर भाग ले सकेगा जिसके पास 9 टन से 12.5 टन क्षमता (6 चक्का) के न्यूनतम 3 ट्रकों का स्वामित्व स्वयं अथवा फर्म के नाम से हो (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कर प्रतिलिपि संलग्न करें)।
19. बिड में प्रस्तुत किये गये न्यूनतम 3 ट्रकों का स्वामित्व संपूर्ण अनुबंध अवधि में सफल बिडर के नाम में रहना आवश्यक होगा। यदि बिडर द्वारा अनुबंध अवधि में उक्त वाहनों का बेचान किया जाता है तथा उनके स्थान पर नये वाहनों का क्रय किया जाता है, तो ऐसा किये जाने से पूर्व उक्त की सूचना आरएसजीएसएम को दिया जाना आवश्यक होगा। परन्तु अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि में न्यूनतम 3 ट्रकों का स्वामित्व सफल बिडर के पक्ष में बना रहेगा।
20. यदि बिडर द्वारा उसके अपने स्वामित्व के ट्रक / वाहन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन से मदिरा परिवहन का कार्य किया जाता है तो ऐसी स्थिति ऐसे अन्य वाहन के क्रम में समस्त दायित्व बिडर के स्वंय के होगें। ऐसे अनुबंधित वाहन को मदिरा परिवहन कार्य के लिये प्रयुक्त किये जाने से पूर्व बिडर ऐसे वाहन की सम्पूर्ण जानकारी (मय रजिस्ट्रेशन प्रमाण की प्रति) से लिखित में प्रभारी मदिरालय को अवगत करायेगा।
21. उपलब्ध ट्रक परिवहन विभाग द्वारा पासशुदा, इन्श्योरेंसशुदा व अच्छी हालत में होना चाहिये एवं वाहन चालक के पास वाणिज्यिक लाईसेंस होना अनिवार्य है। कन्साईनमेन्ट में कमी या हानि होती है तो उसकी कटौती नियमानुसार आपसे की जावेगी।
22. बिडर द्वारा प्रस्तुत की गई दरें पूरी अनुबन्ध अवधि के लिए मान्य रहेगी। अगर डीजल की दरों में अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी विशिष्ट माह में उपलब्ध दैनिक दरों के औसत आधार पर 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि/कमी होती है तो प्रर्दश टेबल के बिन्दु संख्या 5 के क्षमता वाहन के सामने लिखित किलोमीटर रनिंग को आधार मानते हुये गंतव्य स्थान तक की एकतरफा दूरी के आधार पर परिवहन दरों में संशोधन किया जावेगा तथा यह संशोधन वृद्वि/कमी के 75 प्रतिशत के समकक्ष होगा तथा वास्तविक लाभ आगामी माह की प्रथम तारीख से देय होगा। संशोधन के उद्देश्य हेतु बेसिक डीजल की बेसिक दर वित्तीय बिड खोलने की दिनांक को राजस्थान में प्रति लीटर डीजल विक्रय की बाजार दर होगी।

**उदाहरणार्थ–**

| क्रसं. | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | झोटवाड़ा से चौमूं कन्साइनमेंट भेजा | एक वाहन |
| 2 | परिवहन दर | 3000 रू. प्रति ट्रिप एकतरफा |
| 3 | दूरी | 30 किमी एकतरफा |
| 4 | डीजल की संशोधन के उद्देश्य से बेसिक दर<br>(वित्तीय बिड के खोलने की तिथि को राजस्थान में डीजल विक्रय की बाजार दर ) | रू. 50 प्रति लिटर |
| 5 | डीजल का संशोधन के उद्देश्य से बेसिक माईलेज<br>1) 9 टन क्षमता वाहन (625 पेटी)<br>2) 3 टन क्षमता वाहन (300 पेटी) | <br>5 किमी प्रति लीटर<br>8 किमी प्रति लीटर |



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

| | | |
|---|---|---|
| 6 | उक्त तथ्यों की स्थिति में रू. 2.5 प्रति लीटर कमी/वृद्धि पर संशोधन। अर्थात रू. 47.50 या 52.50 प्रति लीटर भाव होने पर। | कोई संशोधन नहीं |
| 7 | यदि दर रू. 50 से बढकर यदि 55 हो जावे या घटकर 45 रू. प्रति लीटर हो जावे तो–<br>30 किमी दूरी पर डीजल की खपत 6 लीटर<br>6 लीटर डीजल पर वृद्धि के कारण अतिरिक्त<br>भार 6 X 5 = 30 रू. 30<br>रू. 30 का 75 प्रतिशत यानि 30 X 75/100 रू. 22.50 | संशोधित दर<br>रू 3000 + 22.50<br>यानि 3022.50 प्रति ट्रिप एकतरफा<br>बाजार में दर में कमी होने पर<br>रू. 3000–22.50<br>यानि 2977.50 प्रति ट्रिप एकतरफा |
| 8 | वास्तविक लाभ जिस माह में कमी/वृद्धि हुई है उसके आगामी माह की पहली तारीख से देय | आगामी माह की पहली तारीख से देय |

23. टायर, ऑयल, पार्ट्स, परिवहन से संबंधित टैक्स आदि की दरों में वृद्धि होने पर परिवहन की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जावेगी।
24. प्रत्येक कन्साईनमेन्ट के निर्दिष्ट मदिरा गोदाम पर पूरी मात्रा में पहुंचाने की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी। मदिरा त्रिपाल से ढक कर परिवहन करना होगा। भरी मदिरा/अन्य की बोतलों में अधिकतम रास्ता क्षति 0.25 प्रतिशत एवं इसी अनुपात में अद्दे, पव्वें, रास्ता क्षति सामान्य मानी जावेगी। इससे अधिक क्षति की जिम्मेदारी सफल बिडर की रहेगी। जिसकी वसूली निर्धारित मूल्य की दरों से की जावेगी।
25. यदि दुर्घटना की वजह से अधिक क्षति होती है तो दुर्घटना होते ही सफल बिडर की यह जिम्मेदारी होगी कि ईकाई प्रबन्धक/प्रभारी मदिरालय को शीघ्र सूचित करें। पुलिस एवं आबकारी विभाग को भी शीघ्र सूचित करना होगा एवं मौके पर ही पंचनामा, फोटो इत्यादि बनाने की आवश्यक कार्यवाही मौके पर करेंगे। समस्त कागजात बनाकर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे तथा कम्पनी को होने वाले नुकसान की भरपाई सफल बिडर को करनी होगी।
26. अनुबन्ध की अवधि में कम्पनी द्वारा कार्यादेश कभी भी निरस्त किया जा सकेगा एवं अनुबन्ध अवधि को आवश्यकतानुसार घटाया/बढाया भी जा सकता है। बिडर द्वारा नियमित सेवायें नहीं देने, अवैध एवं विधि विरूद्ध गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर 3 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है एवं शेष अवधि में कार्य अन्य स्त्रोतों से आपकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर करवाया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं बिडर की होगी तथा इसमें होने वाली हानि की वसूली सफल बिडर से की जायेगी।
27. किसी भी विवाद की स्थिति में जयपुर अवस्थित न्यायालय ही मान्य होगा।
28. सफल बिडर द्वारा परिवहन अवधि के दौरान परिवहन कार्य हेतु मना कर दिये जाने पर जमा धरोहर राशि 18 प्रतिशत जी.एस.टी.सहित अन्य जमा राशि जब्त की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
29. सफल बिडर को कार्यादेश लेते समय नियमानुसार निर्दिष्ट राशि का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करना अनिवार्य होगा।
30. दर संविदा एक वर्ष की अवधि के लिये आमन्त्रित की गई है, जिसे आवश्यकता पडने पर उन्हीं नियमों व शर्तों के अध्याधीन आरटीपीपी नियमों के अनुसार बढाई जा सकती है।
31. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(8) वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2014 के अनुसार बिड प्रपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर ए,बी,सी,डी की शर्तो की पूर्ण पालना कर टेण्डर फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
32. बिड प्रपत्र के साथ अंकित स्थानों की न्यूनतम दूरी के आधार पर ही निर्धारित स्लेब में प्रति रनिंग किलोमीटर में दरें आमंत्रित की गई है। उसी के अनुसार दर प्रस्तावित करें।
33. प्रत्येक बिडर के लिये मदिरालय झोटवाडा/अजमेर/उदयपुर से सीधे गन्तव्य सभी 85 डिपो के लिये प्रति किलोमीटर दरें मय चुंगी/टोल टैक्स / अन्य कर वित्तीय बिड में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। यदि बिडर द्वारा उपराक्तानुसार दरें प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में बिड स्वीकार योग्य नहीं होगी।



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

34. **बिड में एल–1 बिडर का निर्धारण बिडर द्वारा 9 टन क्षमता के वाहनों हेतु सभी निर्धारित स्लेब के अनुसार प्रस्तुत प्रति रंनिग किलोमीटर दर (सभी के योग) के औसत के आधार पर किया जायेगा, किन्तु बिडर द्वारा 3 टन वाहन क्षमता हेतु दरें प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।**

35. दर संविदा, न्यूनतम कीमत वाली बोली लाभप्रद बोली के बोली लगाने वाले के साथ, उपापन की विषय वस्तु की मात्रा, स्थान और समय के लिए प्रतिबद्धता के बिना, कीमत के लिए की जायेगी।

36. सामान्य शर्त एवं विशेष शर्त में यदि किसी विषय या बिंदु पर विरोधाभास हो तो विशेष शर्त ही मान्य होगी।

37. परिवहन कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले मदिरा वाहन पूर्णतया फिट होने चाहिये तथा संबंधित प्राधिकृति से तत्संबंधी प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक होगा।

38. काँच, पेट, एस्पिटिक ब्रिक पैक एवं अन्य पात्रों में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा उपलब्ध होने एवं परिवहन कराया जाना आवश्यक होने पर विशेष परिस्थिति में काँच, पेट, एस्पिटिक ब्रिक पैक में एक साथ परिवहन कराये जाने की स्थिति में 3 टन (200 (ग्लास)/300 (पेट)/350 (एसेप्टिक ब्रिक पैक) केसेज) एवं 9 टन (625 (ग्लास)/925 (पेट)/1000 (एसेप्टिक ब्रिक पैक) केसेज) के अनुसार कराये गये वास्तविक कम परिवहन अनुसार स्वीकृत दरों के परिपेक्ष्य में आनुपातिक भुगतान किया जा सकेगा यदि उप–महाप्रबन्धक (उत्पादन एवं वितरण) से ऐसा करने की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई हो।

39. यदि एक ही वाहन से एक ही दिशा में एक से अधिक डिपो पर मदिरा परिवहन कार्य कराया जाता है तो अंतिम डिपो की दूरी के स्लेब के लिये अनुमोदित दर अथवा डिपोवार डिपो की दूरी के स्लेब अनुमोदित दर में से जो भी कम होगी का भुगतान किया जावेगा।

40. मदिरालय झोटवाडा/अजमेर/उदयपुर से संबंधित सभी 85 डिपोज/मदिरालय उदयपुर से संबंधित डिपोज एवं एक से अधिक डिपोज के लिये निर्धारित दूरी स्लेब में प्रति रंनिग किलोमीटर एकतरफा दरें देना अनिवार्य है ताकि संबंधित स्लेब की दर से संबंधित डिपोज के भाड़ा का भुगतान किया जा सके। उदाहरणार्थ 0 से 200 किलोमीटर के स्लेब में प्राप्त/अनुमोदित न्यूनतम दर रू. 20 प्रति रनिगं किलोमीटर है तो अजमेर से माण्डलगढ डिपो की दूरी 187 किलोमीटर एवं झोटवाडा से डीडवाना की दूरी 152 किलोमीटर का भुगतान 20 रूपये प्रति रनिंग किलोमीटर से किया जावेगा। इसी प्रकार सभी स्लेब में प्रभावी होगा।

41. मदिरालय झोटवाडा (जयपुर) हेतु बिडर का गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक टर्नऑवर ₹ 25 लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है। इस हेतु सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखे / प्रमाण पत्र संलग्न करें।

42. मदिरालय अजमेर हेतु बिडर का गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक टर्नऑवर ₹ 35 लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है। इस हेतु सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखे / प्रमाण पत्र संलग्न करें।

43. मदिरालय उदयपुर हेतु बिडर का गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक टर्नऑवर ₹ 10 लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है। इस हेतु सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखे / प्रमाण पत्र संलग्न करें।

44. सफल बिडर को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आदेशित मदिरालय के प्रभारी को वाहन चालकों/ स्टाफ के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही नहीं होने के संबध में शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

# राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.

## बिड एवं संविदा के लिये सामान्य शर्तें

**नोट–यदि सामान्य शर्तों व विशेष शर्तों में विरोधाभास हो तो विशेष शर्त का आशय ही मान्य होगा। यदि सामान्य व विशेष शर्त को आरटीपीपी एक्ट व नियम से विरोधाभास हो तो एक्ट व नियम का अर्थ ही अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।**

1. बिड्स को बिड सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप बिड ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
2. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना संस्थान को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी ।
3. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ0 ओ0 आर0 उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु, चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर/जी.एस.टी. को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाड़े (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों को सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा मदिरा की सुपुर्दगी संस्थान के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले मदिरा कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एंव स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले मदिरा पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी मदिरा के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए हैं, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।

4- जी.एस.टी पंजीयन आवश्यक होगा।

5. विधिमान्यता :– बिडयें, उनके खोले जाने की तारीख से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
6. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले मदिरा की शर्तो, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे संस्थान को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
7. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
8. बिडर या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्य़क्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
9. बोली प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) :– (क) बिड के साथ बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बिड्स पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि आरएसजीएसएम के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–
   (1) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।
   (क) बयाना राशि का प्रतिदाय :– असफल बिडर की बयाना राशि बिड को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद 60 दिवस में लौटायी जाएगी।



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

10. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण :— बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :—

(1) जब बिडर बिड खोलने के बाद किन्तु, बिड को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब बिडर विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब बिडर प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

11. (1) करार एंव प्रतिभूति निक्षेप :— (1) सफल बिडर को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सेवाओं/सामानों (स्टोर्स) के लिए बिड स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बिड के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, अनुबंध के समय पर जमा करायी जाएगी ।

(2) बिड के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी ।

(3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :—

(क) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(5) (1) केन्द्र सरकार एंव राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :—

(क) जब संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बिडर सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा है।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

(द्य) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण होने की स्थिति में उस पर 18 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. वसूल किया जायेगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बिडर द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

12. बीमा :— (1) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दर्शा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे— युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बिडर द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

13. भुगतान :— (1) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह मदिरा प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान मदिरा अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और बिडर को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(2) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बिडर द्वारा संस्थान को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बिडर द्वारा वहन किए जाएंगे।

(3) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(4)उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

14. वसूलियां :— परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द किए गए मदिरों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा।नुकसान के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

15. यदि बिडर ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बिड को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि संस्थान द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

16. संस्थान किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बिडर ने बिड दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बिड को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को समान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपनी पास आरक्षित रखेगा।

17. बिडर करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति ।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एंव कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

18. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को एकल पंच नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।

19. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

## Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

 बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

# राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.

## Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

**Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to ............................ for procurement of .............................. in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

## Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ______________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ______________

**(1) Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

**(2)** The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

**(3)** If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

**(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

**(5) Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

**(6) Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc1

**FORM No. 1**
**[See rule 83]**

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

Appeal No .........of ...............
Before the .............................. (First / Second Appellate Authority)

**1.** Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

**2.** Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)

**3.** Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

**4.** If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

**5.** Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

**6.** Grounds of appeal:
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................. (Supported by an affidavit)

7. Prayer:
............................................................................................................
............................................................................................................
............

Place ...........................................
Date ..........................................
Appellant's Signature

Doc1

## Annexure D : Additional Conditions of Contract

**1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

**2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

**3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

 बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

**SR FORM-17**

# AGREEMENT
## (See Rule 68)

An agreement made this ……………………….day of ……………..between ……………………………………….. (hereinafter called **"the approved supplier"**, which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and **the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.** (herein after called "**the RSGSM**" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

2. Whereas the approved supplier has agreed with the RSGSM to supply to the__________ of the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd. at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column___________ of the said schedule.

3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs.______ in __________.

   (1) Cash/Bank Draft/Bank Guarantee /Banker Cheque No.______________________ dated__________.

   (2) Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.

   (3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.

4. Now these Presents witness:

   (1) In consideration of the payment to be made by the Government through______ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in__________ and __________ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.

   (2) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No.______ dated________ and also appended to this



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

(3) Letters Nos.________ received from tenderer and letters nos._______ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

(4)

(a) The RSGSM do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the RSGSM will through________ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

(b) The mode of Payment will be as specified below:-

1.______________________
2.______________________
3.______________________

5. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order:-

a) w.e.f. date of execution of agreement i.e. …………….. to up to one year i.e. ……………..

6. (1)(i)In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply :-

| S. No. | Items Quantity | Delivery period |
|---|---|---|
| **a)** | Delay upto onefourth period of the prescribed delivery period. | 2½% + 18% GST |
| **b)** | Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period. | 5% + 18% GST |
| **c)** | Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period. | 7½% + 18% GST |
| **d)** | Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period. | 10% + 18% GST |

**Note :**

(i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10% + 18% GST

(iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurence of any hinderences, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurence of the hinderence but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hinderences beyond the control of the tenderer.

7. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the......... day of ........201.......

**Signature of the approved supplier.**

Date:
Witness No. 1

Witness No.2

**Signature for and on behalf of Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.**
Dy. General Manager (Purchase)
Date:
Witness No. 1

Witness No.2

# राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.

**Annexure F**

**मदिरालय झोटवाडा से विभिन्न डिपोज की अनुमानित दूरी निम्नानुसार है :–**

| क. सं. | डिपो का नाम | दूरी (कि.मी. में) |
|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 139 |
| 2. | ब्यावर | 188 |
| 3. | केकडी | 144 |
| 4. | किशनगढ | 105 |
| 5. | परबतसर | 120 |
| 6. | डीडवाना | 152 |
| 7. | नागौर | 228 |
| 8. | मेडतारोड़ | 211 |
| 9. | भीलवाड़ा | 249 |
| 10. | आसीन्द | 229 |
| 11. | शाहपुरा (भीलवाड़ा) | 197 |
| 12. | माण्डलगढ | 262 |
| 13. | भरतपुर | 191 |
| 14. | बयाना | 181 |
| 15. | भीवाड़ी | 195 |
| 16. | खेरथल | 158 |
| 17. | राजगढ | 128 |
| 18. | धौलपुर | 267 |
| 19. | करोली | 162 |
| 20. | हिण्डौन | 164 |
| 21. | सवाईमाधोपुर | 152 |
| 22. | गंगापुर (सवाईमाधोपुर) | 131 |
| 23. | मालपुरा | 99 |
| 24. | अलवर | 144 |
| 25. | बहरोड़ | 130 |
| 26. | चौमूं | 28 |
| 27. | दूदू | 66 |
| 28. | शाहपुरा (जयपुर) | 60 |
| 29. | दौसा | 65 |
| 30. | बांदीकुई | 103 |
| 31. | झुन्झुनू | 175 |
| 32. | चिड़ावा | 176 |
| 33. | खेतड़ी | 138 |
| 34. | नवलगढ | 136 |
| 35. | चूरु | 200 |
| 36. | तारानगर | 245 |
| 37. | सीकर | 110 |
| 38. | फतेहपुर | 161 |
| 39. | नीमकाथाना | 105 |
| 40. | श्रीमाधोपुर | 71 |
| 41. | सुजानगढ | 192 |
| 42. | मण्डोर | 356 |
| 43. | पीपाड़ | 296 |
| 44. | फलोदी | 386 |
| 45. | जैसलमेर | 551 |
| 46. | पोकरण | 446 |
| 47. | बाड़मेर | 539 |
| 48. | बालोतरा | 447 |
| 49. | रानी | 356 |
| 50. | पाली | 303 |
| 51. | सोजत | 265 |
| 52. | जैतारण | 242 |
| 53. | सिरोही | 416 |
| 54. | आबूरोड़ | 486 |
| 55. | जालौर | 418 |
| 56. | भीनमाल | 474 |
| 57. | कोटा | 261 |
| 58. | रामगंजमण्डी | 338 |
| 59. | झालावाड़ | 349 |
| 60. | भवानीमण्डी | 370 |



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

# राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.

| | | |
|---|---|---|
| 61. | बांरा | 286 |
| 62. | बून्दी | 223 |
| 63. | टोंक | 110 |
| 64. | हनुमानगढ | 393 |
| 65. | नोहर | 308 |
| 66. | भादरा | 297 |
| 67. | श्रीगंगानगर | 464 |
| 68. | श्रीकरणपुर | 488 |
| 69. | रॉयसिंहनगर | 451 |
| 70. | बीकानेर | 330 |
| 71. | नोखा | 283 |
| 72. | लूणकरणसर | 317 |
| 73. | अनूपगढ | 448 |
| 74. | सूरतगढ | 396 |
| 75. | उदयपुर | 397 |
| 76. | राजसमन्द | 339 |
| 77. | देवगढ | 278 |
| 78. | बांसवाड़ा | 510 |
| 79. | डूंगरपुर | 503 |
| 80. | चित्तौडगढ | 309 |
| 81. | बेंगू | 294 |
| 82. | नीम्बाहेड़ा | 347 |
| 83. | प्रतापगढ | 426 |
| 84. | जयपुर (गोनेर रोड़) | 40 |
| 85. | जयपुर (सीकर रोड़) | 15 |



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

# राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.

## मदिरालय अजमेर से विभिन्न डिपोज की अनुमानित दूरी निम्नानुसार है :–

| क्र. सं. | डिपो का नाम | दूरी (कि.मी. में) |
|---|---|---|
| 1. | ब्यावर | 53 |
| 2. | केकडी | 78 |
| 3. | किशनगढ | 29 |
| 4. | परबतसर | 66 |
| 5. | डीडवाना | 143 |
| 6. | नागौर | 148 |
| 7. | मेडतारोड़ | 76 |
| 8. | भीलवाड़ा | 134 |
| 9. | आसीन्द | 106 |
| 10. | शाहपुरा (भीलवाड़ा) | 122 |
| 11. | माण्डलगढ | 187 |
| 12. | भरतपुर | 314 |
| 13. | बयाना | 304 |
| 14. | भीवाड़ी | 326 |
| 15. | खेरथल | 289 |
| 16. | राजगढ | 251 |
| 17. | धौलपुर | 398 |
| 18. | करोली | 295 |
| 19. | हिण्डौन | 287 |
| 20. | सवाईमाधोपुर | 247 |
| 21. | गंगापुर (सवाईमाधोपुर) | 264 |
| 22. | मालपुरा | 116 |
| 23. | अलवर | 277 |
| 24. | बहरोड़ | 261 |
| 25. | झोटवाड़ा (जयपुर) | 136 |
| 26. | चौमूं | 159 |
| 27. | दूदू | 69 |
| 28. | शाहपुरा (जयपुर) | 191 |
| 29. | दौसा | 188 |
| 30. | बांदीकुई | 227 |

| | | |
|---|---|---|
| 31. | झुन्झुनू | 244 |
| 32. | चिड़ावा | 273 |
| 33. | खेतड़ी | 280 |
| 34. | नवलगढ | 204 |
| 35. | चूरु | 256 |
| 36. | तारानगर | 302 |
| 37. | सीकर | 171 |
| 38. | फतेहपुर | 218 |
| 39. | नीमकाथाना | 245 |
| 40. | श्रीमाधोपुर | 201 |
| 41. | सुजानगढ | 188 |
| 42. | मण्डोर | 220 |
| 43. | पीपाड़ | 161 |
| 44. | फलोदी | 286 |
| 45. | जैसलमेर | 498 |
| 46. | पोकरण | 387 |
| 47. | बाड़मेर | 402 |
| 48. | बालोतरा | 312 |
| 49. | रानी | 219 |
| 50. | पाली | 168 |
| 51. | सोजत | 130 |
| 52. | जैतारण | 107 |
| 53. | सिरोही | 282 |
| 54. | आबूरोड़ | 351 |
| 55. | जालौर | 365 |
| 56. | भीनमाल | 339 |
| 57. | कोटा | 202 |
| 58. | रामगंजमण्डी | 279 |
| 59. | झालावाड़ | 302 |
| 60. | भवानीमण्डी | 312 |
| 61. | बांरा | 273 |
| 62. | बून्दी | 165 |
| 63. | टोंक | 175 |



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

| | | |
|---|---|---|
| 64. | हनुमानगढ | 428 |
| 65. | नोहर | 364 |
| 66. | भादरा | 370 |
| 67. | श्रीगंगानगर | 499 |
| 68. | श्रीकरणपुर | 523 |
| 69. | रॉयसिंहनगर | 486 |
| 70. | बीकानेर | 265 |
| 71. | नोखा | 200 |
| 72. | लूणकरणसर | 348 |
| 73. | अनूपगढ | 417 |
| 74. | सूरतगढ | 431 |
| 75. | उदयपुर | 262 |
| 76. | राजसमन्द | 204 |
| 77. | देवगढ | 143 |
| 78. | बांसवाड़ा | 393 |
| 79. | डूंगरपुर | 367 |
| 80. | चित्तौडगढ | 197 |
| 81. | बेंगू | 218 |
| 82. | नीम्बाहेड़ा | 230 |
| 83. | प्रतापगढ | 306 |
| 84. | अजमेर डिपो | 15 |

**मदिरालय उदयपुर से विभिन्न डिपोज की अनुमानित दूरी निम्नानुसार है :–**

| क्र. सं. | डिपो का नाम | दूरी (कि.मी. में) |
|---|---|---|
| 1. | राजसमन्द | 61 |
| 2. | देवगढ़ | 127 |
| 3. | बांसवाड़ा | 156 |
| 4. | डूंगरपुर | 105 |
| 5. | चित्तौडगढ़ | 111 |
| 6. | बेंगू | 182 |
| 7. | निम्बाहेड़ा | 102 |
| 8. | प्रतापगढ़ | 174 |
| 9. | सिरोही | 134 |
| 10. | आबूरोड़ | 152 |
| 11. | जालौर | 208 |
| 12. | भीनमाल | 204 |
| 13. | रानी | 129 |
| 14. | पाली | 183 |
| 15. | सोजत | 183 |

# राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.

**Annexure "E"**

## <u>तकनीकी बिड चैक लिस्ट</u>

**(तकनीकी बिड के साथ आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज)**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | बिडर का नाम | |
| 2 | हैसियत जिसके तहत बिड प्रस्तुत की जा रही है–<br><br>1 व्यक्ति<br><br>2 फर्म (साझेदारी डीड की प्रति संलग्न)<br><br>3 कंपनी (मेमोरेंडम ऑफ एसोशियेशन की प्रति संलग्न ) | |
| 3 | पैन नंबर (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न) | |
| 4 | बोली प्रतिभूति राशि @ 2% | |
| 5 | एनेक्सर ''बी'' में वर्णित घोषणा<br>( रू.100 / – के नॉन ज्यूडिशीयल स्टॉम्प पेपर पर संलग्न करें) | |
| 6 | माल एवं सेवा कर पंजीयन संख्या (GSTIN)<br>(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न) | |
| **7** | 9 टन से 12.5 टन क्षमता (6 चक्का) के 3 ट्रकों के संबंधी दस्तावेज<br><br>1. वाहन संख्या<br><br>1.1. स्वामित्व प्रमाण (रजिस्ट्रेशन)<br><br>1.2. परमिट<br><br>1.3. इन्श्योरेन्स प्रमाण पत्र<br><br>2. वाहन संख्या<br><br>2.1. स्वामित्व प्रमाण (रजिस्ट्रेशन)<br><br>2.2. परमिट | |



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

| | | |
|---|---|---|
| | 2.3. इन्श्योरेन्स प्रमाण पत्र<br>3. वाहन संख्या<br>3.1. स्वामित्व प्रमाण (रजिस्ट्रेशन)<br>3.2. परमिट<br>3.3. इन्श्योरेन्स प्रमाण पत्र<br>(केवल चाही गई क्षमता अनुसार स्वंय प्रोपराईटर/फर्म के नाम) | |
| **8** | 1. मदिरालय झोटवाडा (जयपुर) हेतु बिडर का गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक टर्नऑवर ₹ 25 लाख प्रतिवर्ष होने के प्रमाण स्वरूप सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखे / प्रमाण पत्र | **2021—22 : ₹.........................**<br>**2020—21 : ₹.........................**<br>**2019—20 : ₹.........................** |
| | 2. मदिरालय अजमेर हेतु बिडर का गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक टर्नऑवर ₹ 35 लाख प्रतिवर्ष होने के प्रमाण स्वरूप सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखे / प्रमाण पत्र | **2021—22 : ₹.........................**<br>**2020—21 : ₹.........................**<br>**2019—20 : ₹.........................** |
| | 3. मदिरालय उदयपुर हेतु बिडर का गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक टर्नऑवर ₹ 10 लाख प्रतिवर्ष होने के प्रमाण स्वरूप सनदी लेखाकार से प्रमाणित लेखे / प्रमाण पत्र | **2021—22 : ₹.........................**<br>**2020—21 : ₹.........................**<br>**2019—20 : ₹.........................** |
| **9** | माल एवं सेवाकर (GST)/सेवाकर की नवीनतम विवरणी की प्रति | |

***नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें एवं सभी दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।***



बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर